

URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(36) ग्रावि/ग्रुप-5/जीकेएन/बीएसआर /प्रगति/2015-16 जयपुर, दि. 11 मई, 2018

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद समस्त (बीकानेर, बूंदी, झुन्झुनू, पाली, प्रतापगढ़ व सिरौही को छोड़कर)

विषय :- जीएसटी के परिपेक्ष्य में वर्ष 2018-19 के लिए पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) लागू करने के संबंध में।


प्रसंग :- विभागीय पत्र दि. 07.11.2017, दि. 05.03.18, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक दि. 19.04.18 एवं 30.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 8 एवं जीएसटी के परिपेक्ष्य में वर्ष 2018-19 के लिए श्रम, सामग्री एवं उपकरणों की बेसिक दरों का निर्धारण करने एवं दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने व पंचायत समितिवार बीएसआर दिनांक 01.04.2018 से लागू/प्रभावी करने हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया था।

सॉफ्टवेयर से बीएसआर सृजन की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आदिनांक (10.05.2018) तक मात्र 9 जिले द्वारा 57 पंचायत समितियों की बीएसआर अनुमोदित कर दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी की है। 15 जिलो द्वारा आंशिक पंचायत समितियों की बीएसआर प्रस्तावित की है जिनका जिला स्तर से अनुमोदन होना शेष है। शेष 12 जिले (जिलेवार प्रगति संलग्न) यथा बाडमेर, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, करौली, नागौर, सीकर एवं टोंक में पंचायत समिति स्तर से बेसिक दरें प्रस्तावित ही नहीं की है, जो कि खेदजनक है।


अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिला दर निर्णायक समिति के स्तर पर समुचित समीक्षा उपरान्त पंचायत समितिवार दर अनुसूची (बीएसआर) के अनुमोदन आदि की कार्यवाही दिनांक 14.05.2018 तक पूर्ण कर प्रभावी कर निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री उपापन की समयबद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परावि।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/महात्मा गांधी नरेगा।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त (बीकानेर, बूंदी, झुन्झुनू, पाली, प्रतापगढ़ व सिरौही को छोड़कर)।
6. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त (बीकानेर, बूंदी, झुन्झुनू, पाली, प्रतापगढ़ व सिरौही को छोड़कर)।
7. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

**BSR Approval Status as on
10/05/2018 for FY : 2018-2019**

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समितियों की संख्या	बा.एस.आर. Propose कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	बा.एस.आर. प्रभावी कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	एक से अधिक बार बी.एस.आर. प्रभावी करने वाली पंचायत	Remarks	पं.स. की संख्या, जिनकी बी.एस.आर. Propose करना शेष है।	पं.स. की संख्या जिनकी, बी.एस.आर. प्रभावी करना शेष है।
1	2	3	5	6	7		9	10
1	अजमेर	9	1				8	9
2	अलवर	14	4				10	14
3	बासवाड़ा	11	11 ✓					11
4	बारा	7				बैठक दि. 28.03.18 के निर्णय अनुसार कार्यरत		
5	बाड़मेर	17					17	17
6	भरतपुर	10	2	1			7	9
7	भीलवाड़ा	12		11	1		1	1
8	बीकानेर	7		7				
9	बून्दी	5		5				
10	चित्तौड़गढ़	11	1				10	11
11	चुरू	7					7	7
12	दौसा	6	5				1	6
13	धौलपुर	5	5 ✓					5
14	इंजरपुर	10					10	10
15	गंगानगर	9					9	9
16	हनुमानगढ़	7					7	7
17	जयपुर	15					15	15
18	जैसलमेर	3					3	3
19	जालोर	8	2				6	8
20	झालावाड़	8	1				7	8
21	झुझुनू	8		8				
22	जोधपुर	16					16	16
23	करौली	6					6	6
24	कोटा	5	5 ✓					5
25	नागौर	14					14	14
26	पाली	10		10				
27	प्रतापगढ़	5		5				
28	राजसमन्द	7	4				3	7
29	सवाई	6	1	5	1			1
30	सीकर	9					9	9
31	सिरोही	5		5				
32	टोंक	6					6	6
33	उदयपुर	17	4				13	17
	Total	295	46	57	2		185	231